

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग
निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून

सूचना (Public Notice)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति, भण्डारण नियमावली एवं रिवर ट्रेनिंग नीति के प्राविधानों को सरल एवं जन उपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021," उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021" एवं "उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2021" का प्रख्यापन किया जाना प्रस्तावित है। इन नीतियों एवं नियमावली के ड्राफ्ट को विभागीय वेबसाईट dgm.uk.gov.in पर जनसाधारण के अवलोकन एवं सुझाव हेतु इस आशय से अपलोड की जा रही है कि यदि कोई सुझाव दिया जाना हो, तो दिनांक 20.08.2021 से 31.08.2021 तक, के मध्य विभागीय ई-मेल addgmuk@gmail.com पर अथवा लिखित रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून-248008 पत्राचार पर पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम) सचिव